

This Corporation has developed Success Stories of following successful Beneficiaries assisted by this Corporation in the past under various schemes in different parts of the state.

Sr. No.	Name & Address of Beneficiaries	Name of Scheme	Project Cost.
1	Sh. Prem Singh S/O Sh. Bhagirath Vill. Godjudhanu P/O Nwahi Teh. Sarkaghat Distt. Mandi H.P.	Electronics Shop	Rs. 0.50 Lakh
2	Sh. Manohar Lal S/O Sh. Dagu Ram vill. Doon P/O Maseran Teh. Sarkaghat District Mandi H.P.	Readymade Garments	Rs.0.50 Lakh
3	Sh. Suresh Kumar S/O Sh. Jagat Ram Vill and P/O Banoori Teh. Palampur District Kangra H.P.	Alto Car-Taxi	Rs. 3.00 Lakhs
4	Sh. Rajinder Singh S/O Sh. Thuddu Ram Vill & P/O Indora Teh. Indora District Kangra H.P.	Tractor Trolly	Rs. 4.66 Lakhs
5	Sh. Manoj Kumar S/O Sh. Puran Chand Vill. & P/O Lakhanpur Teh. Sadar District Bilaspur H.P.	Vegetable Shop	Rs. 0.50 Lakh

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास
निगम, मुख्यालय कल्याण भवन सोलन 173212

सफलता की कहानी:-



(श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री भागीरथ अपनी दुकान में कार्य करता हुआ)

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री भागीरथ, गांव गोड झुड़ाणू डाकघर नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है। लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। उक्त लाभार्थी निगम से ऋण लेने से पहले गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा था। श्री प्रेम सिंह को इस निगम द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, सरकाघाट के माध्यम से दिनांक 18.03.2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हेतु मु0 50,000/-रु0 का ऋण प्रदान किया गया। निगम के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त करके उक्त लाभार्थी के कारोबार में बढोतरी हुई है जिससे उसके आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है तथा लाभार्थी ऋण की किश्ते नियमित रूप से दे रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर रहा। सामाजिक एवं आर्थिक उर्त्थान में हुये सुधार के लिये लाभार्थी निगम द्वारा दिये गये योगदान को अहम मानता है।


प्रबन्ध निदेशक

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास
निगम, मुख्यालय कल्याण भवन सोलन 173212

सफलता की कहानी:-



(श्री मनोहर लाल पुत्र श्री डागू राम अपनी दुकान में कार्य करते हुये)

श्री मनोहर लाल पुत्र श्री डागू राम, गांव डून डाकघर मसेरन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है। लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वी है उक्त लाभार्थी की ऋण लेने से पहले वार्षिक आय 22,580/- ₹ थी। श्री मनोहर लाल को इस निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के सौजन्य से अम्बेदकर लघु ऋण योजना के तहत दिनांक 01.02.2015 को रेडीमेड गारमैट्स हेतु मु0 50,000/-₹ का ऋण प्रदान किया गया। निगम से ऋण सहायता प्राप्त करके उक्त लाभार्थी के कारोबार में बढोतरी हुई है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है तथा लाभार्थी ऋण की किश्तें नियमित रूप से दे रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर रहा है।

लाभार्थी ने बताया कि उसे निगम की योजनाओं की जानकारी निगम के कर्मचारी व अधिकारियों से मिली। तत्पश्चात उसने 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मु0 50,000/-₹ का ऋण हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से सीधे तौर पर लिया है तथा उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। फलस्वरूप और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हुई है।


प्रबन्ध निदेशक

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास
निगम, मुख्यालय कल्याण भवन सोलन 173212

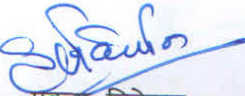
सफलता की कहानी:-



(चित्र में श्री सुरेश कुमार अपनी गाड़ी के साथ)

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जगत राम, गांव व डाकघर बनुरी तहसील पालमपुर जिला कागड़ा हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है। लाभार्थी की ऋण लेने से पहले वार्षिक आय 30,000/- ₹0 थी। श्री सुरेश कुमार को इस निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से दिनांक 22.10.2007 को अल्टो कार (टैक्सी) हेतु मु0 3,00,000/-₹0 का ऋण प्रदान किया गया। निगम से ऋण सहायता प्राप्त करके उक्त लाभार्थी के कारोबार में बढोतरी हुई है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है तथा लाभार्थी न केवल ऋण की किश्तें नियमित रूप से दे रहा है बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण भी सही ढंग से कर रहा है ।

लाभार्थी द्वारा अवगत करवाया कि उसे निगम की योजनाओं की जानकारी निगम के कर्मचारी से मिली । तत्पश्चात उसने 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मु0 3,00,000/-₹0 का ऋण हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से प्राप्त कर अपनी गाड़ी चलाने का व्यवसाय अपनाया, जिससे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है । लाभार्थी ने यह भी बताया कि वह ऋण लेने से पहले किसी और की गाड़ी चला कर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था । और अब लाभार्थी की ऋण लेने के उपरान्त मासिक आय 10000/-₹0 रुपये हो गई है जिसका श्रेय लाभार्थी निगम को देता है ।


प्रबन्ध निदेशक

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास
निगम, मुख्यालय कल्याण भवन सोलन 173212

सफलता की कहानी:-



(चित्र में श्री राजेन्द्र सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ)

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धुडु राम, गांव व डाकघर इन्दौरा तहसील इन्दौरा जिला कागड़ा हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है। लाभार्थी की ऋण लेने से पहले वार्षिक आय 25,000/- ₹ थी। श्री राजेन्द्र सिंह को इस निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली क सौजन्य से दिनांक 07.01.2011 को ट्रैक्टर ट्रॉली हेतु मु0 4,66,000/-₹ का ऋण प्रदान किया गया। निगम से ऋण सहायता प्राप्त करके उक्त लाभार्थी के कारोबार में बढोतरी हुई है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है तथा लाभार्थी ने ऋण की किश्ते नियमित रूप से देकर अपना ऋण खाता बन्द कर दिया है ।

लाभार्थी द्वारा अवगत करवाया कि उसे निगम की योजनाओं की जानकारी निगम के कर्मचारी से मिली। तत्पश्चात वह 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मु0 4,66,000/-₹ का ऋण हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से प्राप्त कर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा है जिससे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है । लाभार्थी ने यह भी बताया कि वह ऋण लेने से पहले किसी और के पास ड्राईविंग करता था । और अब लाभार्थी की ऋण लेने के उपरान्त वार्षिक आय 100000/-₹ रुपये से अधिक हो गई है । अपने जीवन स्तर में हुई वृद्धि के लिये लाभार्थी निगम द्वारा दिये गये सहयोग को अहम मानता है ।


प्रबन्ध निदेशक

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास
निगम, मुख्यालय कल्याण भवन सोलन 173212

लाभार्थी की सफलता की कहानी:-



(चित्र में श्री मनोज कुमार अपनी दुकान में कार्य करता हुआ)

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द, गांव व डाकघर लखनपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है। उक्त लाभार्थी की ऋण लेने से पहले वार्षिक आय 30,000/- ₹ थी। श्री मनोज कुमार को इस निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम नई दिल्ली के सौजन्य से अम्बेदकर लघु ऋण योजना के तहत दिनांक 04.02.2016 को सब्जी की दुकान हेतु मु0 50,000/-₹ का ऋण प्रदान किया गया। निगम से ऋण सहायता प्राप्त करके उक्त लाभार्थी के कारोबार में बढोतरी हुई है जिससे उसके आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है तथा लाभार्थी ऋण की किश्ते नियमित रूप से दे रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर रहा ।

लाभार्थी ने बताया कि उसे निगम की योजनाओं की जानकारी निगम के कर्मचारी व अधिकारियों से मिली तत्पश्चात उसने 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मु0 50,000/-₹ का ऋण हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से सीधे तौर पर लिया है और लाभार्थी ने यह भी अवगत करवाया कि ऋण लेने के उपरान्त उसकी वार्षिक आय 60000/-₹ रुपये हो गई है ।


प्रबन्ध निदेशक